दैनिक
# न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

**आवश्यक सूचना**

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार 02 मई 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 214

## दर्दनाक हादसा : खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लीकेज से लगी भीषण आग, जिंदा जले मां और तीन बच्चे

**किशनगंज । आरएनएस**

बिहार के किशनगंज जिले के पौआखाली में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लगने से एक महिला और उनके तीन बच्चों की मौत हो गई। इस घटना में दो लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार की रात पौआखाली नगर पंचायत अंतर्गत नानकार गांव में मोहम्मद अंसार के घर में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण किसी तरह आग लग गई।

इस घटना में घर के सभी छह सदस्य बुरी तरह झुलस गए। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से इन्हें सदर अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए इन सभी को पूर्णिया रेफर कर दिया गया।

बताया जाता है कि इलाज के क्रम में एक महिला और उसकी दो बेटियों और एक पुत्र की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोहम्मद अंसार की पत्नी साहिबा (30), उनकी पुत्री अनीशा (8) और आरुषि (4) तथा पुत्र अनीस (5 ) के रूप में हुई है। इस घटना में घायल दो अन्य लोगों का इलाज पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है।

## भुवनेश्वर से दिल्ली जा रहे विस्तारा विमान का टूटा शीशा, 169 यात्रियों की अटकी सांसें

**नई दिल्ली । आरएनएस**

भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए रवाना हुए विस्तारा विमान में बैठे यात्रियों की सांसे उस समय अटक गई जब विमान की विंड सील का शीशा टूट गया। जिसके बाद विमान की भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग कराई गई। गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई और विमान के सुरक्षित लैंडिंग के साथ ही उसमें सवार यात्री सुरक्षित उतर गए।

उड़ान भरने के 10 मिनट बाद करानी पड़ी लैंडिंग

जानकारी के अनुसार, विस्तारा का विमान भुवनेश्वर से दिल्ली जा रहा था। आकाश में उड़ान भरने के बाद अचानक ओलावृष्टि शुरू हो गई। ओलावृष्टि के कारण विंड सील क्रेक हो गया। ऐसे में उड़ान भरने के 10 मिनट के अंदर ही विमान को आनन-फानन में भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में 169 यात्रियों के साथ आठ क्रु सदस्य थे। सभी यात्री स्वस्थ्य एवं सुरक्षित हैं। यात्रियों के लिए विस्तारा की तरफ से अन्य दो विमान की व्यवस्था की गई, जिससे वह दोबारा दिल्ली रवाना हुए।

## महत्वपूर्ण एवं खास

### जम्मू-कश्मीर : पुलिस ने बारामूला में पाकिस्तान स्थित सात आतंकवादियों की संपत्ति की कुर्क

**श्रीनगर (आरएनएस)।** जम्मू कश्मीर में पुलिस ने बुधवार को बारामूला जिले में पाकिस्तान में रह रहे सात आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क की पुलिस ने कहा कि उरी के विभिन्न गांवों के सात आतंकी आकाओं की लाखों रुपये की कीमत वाली आठ कनाल, छह मरला और दो सेरसाई जमीन है ये आतंकी अब पाकिस्तान में हैं। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई अतिरिक्त सत्र न्यायालय बारामूला से आदेश प्राप्त करने के बाद की गई। पुलिस के बयान में कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों में बरदान के सज्जाद अहमद भट, प्रिंगल के इरशाद अहमद खान, लिम्बर के गुल्ला मोची, प्रिंगल के मोहम्मद असलम खान, इजारा के मोहम्मद बेग, हिलर पीरनियन के खालिद मीर और लिम्बर के रफीक अहमद बकरवाल की संपत्तियां शामिल हैं।

### स्कूलों को बम की धमकी भरी ई मेल निकली फर्जी

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** दिल्ली पुलिस ने कहा है कि राजधानी के कई स्कूलों में बम रखे जाने से संबंधित ई मेल जांच में फर्जी निकली है और स्कूलों की जांच में कुछ नहीं मिला है इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। राजधानी के करीब 100 स्कूलों में बुधवार सुबह बम विस्फोट किए जाने से संबंधित ई मेल मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने स्कूलों में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने कहा है कि स्कूलों में जांच में कुछ नहीं मिला है और यह ई मेल फर्जी है। पुलिस ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर सभी ज़रूरी कदम उठा रही है। इस पूरे मामले की जांच में जुटी एजेंसियों को शक है कि ईमेल भेजने के लिए जिस ढ्ढक्क एड्रेस का इस्तेमाल हुआ है, उसका सर्वर विदेश में मौजूद है। नोएडा-गाजियाबाद-दिल्ली पुलिस कोऑर्डिनेशन के साथ तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। यह भी सामने आया है कि ईमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, स्कूलों को धमकीभरा ईमेल रूस से भेजा गया है.

### मथुरा में आवारा कुत्ते को पीट-पीटकर मारने के आरोप में दो गिरफ्तार

**मथुरा (आरएनएस)।** मथुरा के राधापुरम के गोवर्धन चौक पर एक आवारा कुत्ते को पीट-पीटकर मार डालने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान की गई थी। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया अब पुलिस से आरोप में आईपीसी, 1860 की धारा 429 जोडऩे का आह्वान कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस भयानक अपराध के अपराधियों को पूरी तरह से दंडित किया जाए। आईपीसी की धारा 429 एक कठोर प्रावधान है, जो किसी भी जानवर को अपंग करने या मारने को संज्ञेय अपराध बनाती है। इसमें पांच साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। पेटा इंडिया क्रूरता प्रतिक्रिया समन्वयक सुनयाना बसु ने कहा, जो लोग जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वे अक्सर मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह जरूरी है कि जनता के सदस्य सभी की सुरक्षा के लिए जानवरों के प्रति क्रूरता के मामलों की रिपोर्ट करें। इस दुर्व्यवहार के शिकार होने से पहले इस कुत्ते ने जो भय और पीड़ा सहन की, वह असहनीय रही होगी। हम मथुरा पुलिस से आग्रह करते हैं कि अब आईपीसी की धारा 429 जोड़ें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाया जा सके।

## सलमान खान फायरिंग केस: पुलिस हिरासत में आरोपी ने की आत्महत्या, चादर से लगाया फंदा

**मुंबई । आरएनएस**

अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि इस वारदात में आरोपियों को हथियार सप्लाई करने के आरोपी अनुज थापन ने मुंबई पुलिस की कस्टडी में आत्महत्या कर ली। उसने चादर से फंदा लगा लिया। अनुज को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फायरिंग केस में 25 अप्रैल को अनुज (32) और सुभाष चंदर (37) को पंजाब से हिरासत में लिया था। अनुज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में था। वो ट्रक हेल्पर के तौर पर काम करता है। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने सूरत की तापी नदी से एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए थे। ब्रांच का दावा है कि ये वही हथियार थे, जिसका इस्तेमाल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के लिए किया गया। पुलिस के मुताबिक इन हथियारों की सप्लाई अनुज और सुभाष ने की थी। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी के सिलसिले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के आरोपों का सामना कर रहे चार आरोपियों में एक ने मामले में सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी। हालांकि पुलिस ने उस आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया था कि वह कौन है।

## ग्लोबल पावर लीडर 2024 पुरस्कार से मनीष को किया गया सम्मानित

**न्यूयॉर्क ।** हाउस ऑफ लॉर्ड्स (ब्रिटिश संसद) में एक प्रतिष्ठित समारोह में श्री मनीष को प्रतिष्ठित 'ग्लोबल पावर लीडर 2024' पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि भारत के एक साधारण गांव से वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के लिए उनकी विनम्र शुरुआत को मान्यता देता है। नेतृत्व और परिचालन उत्कृष्टता में अग्रणी। उनका अनुकरणीय करियर महत्वपूर्ण सैन्य और कॉर्पोरेट उपलब्धियों तक फैला हुआ है, जो परिचालन उत्कृष्टता, रणनीति और नेतृत्व में अद्वितीय मानक स्थापित करता है। इस अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा के अलावा, उन्हें इंडियन अचीवर्स फोरम द्वारा 'बिजनेस एक्सीलेंस लीडर 2024' भी चुना गया है। मनीष की यात्रा और उपलब्धियाँ प्रेरणा का प्रतीक हैं, जो विश्व स्तर पर भविष्य के नेताओं के लिए मानक स्थापित करती हैं।

## भारत दौरे पर आएंगे 10 देशों के 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात

**नई दिल्ली । आरएनएस**

भाजपा के निमंत्रण पर दुनिया के 10 देशों के 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भारत दौरे पर आ रहे हैं। विदेशी राजनीतिक दलों का यह प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से मुलाकात करेगा।

विदेशी दलों के नेता देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के चुनावी अभियान का भी जायजा लेगा। भाजपा के विदेश विभाग के प्रभारी डॉ. विजय चौथाईवाले के बयान के अनुसार, भाजपा के निमंत्रण पर 10 देशों के 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पार्टी के चुनाव अभियान का प्रत्यक्ष अनुभव और जानकारी लेने के लिए भारत आ रहे हैं। ये नेता आज भाजपा मुख्यालय में जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भी बातचीत करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया से लिबरल पार्टी, वियतनाम से कम्युनिस्ट पार्टी, बांग्लादेश से बांग्लादेश अवामी लीग, इजरायल से लिकुड पार्टी, युगांडा से राष्ट्रीय प्रतिरोध आंदोलन पार्टी, तंजानिया से चामा चा मापिंदुजी पार्टी, रूस से यूनाइटेड रशिया पार्टी, श्रीलंका से श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना एवं यूनाइटेड नेशनल पार्टी, नेपाल से नेपाली कांग्रेस पार्टी, जनमत पार्टी, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी), नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) एवं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ-साथ मॉरीशस से भी 4 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भारत यात्रा पर आ रहे हैं। भाजपा नेता ने यह बताया कि विदेशी नेताओं का यह भारत दौरा पार्टी के 43वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा शुरू किए गए ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम 'बीजेपी को जानें' अभियान का एक हिस्सा है।

## कानून से ऊपर नहीं ईडी, आम लोगों के खिलाफ नहीं कर सकता सख्त कार्यवाई'; जांच एजेंसी पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

**नई दिल्ली । आरएनएस**

नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित व पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के करीबी व्यवसायी अमित कत्याल का इलाज कर रहे निजी डॉक्टरों के बयान दर्ज करने के लिए कड़े धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)-2002 का इस्तेमाल करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की खिंचाई की है।

ईडी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अदालत ने कहा कि ईडी कानून से बंधा है और आम नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता है। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि मजबूत नेता, कानून और एजेंसियां आम तौर पर उन्हीं नागरिकों को परेशान करती हैं, जिनकी रक्षा करने का वे कसम खाती हैं। हालांकि, अदालत ने कत्याल की अंतरिम जमानत को बढ़ाने से इनकार कर दिया। कल्याल को पांच फरवरी को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मिली थी।

**लोकतंत्र में नागरिकों के पास अधिकार**

अदालत ने नोट किया कि कत्याल ठीक होने की राह पर हैं और जेल परिसर के भीतर निर्धारित जीवन शैली का पालन कर सकते हैं। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में नागरिकों के पास अधिकार तो राज्य के पास कुछ कर्तव्य हैं और इस मौलिक संबंध को एक सत्तावादी तर्क को लागू करने के लिए बदला नहीं जा सकता है। अदालत ने कहा कानून और अदालतों के प्रति जवाबदेह एजेंसी के रूप में ईडी अपने अधिकार अपने पास नहीं रख सकती। अदालत ने उक्त टिप्पणी कत्याल की तरफ से पेश किए गए तर्क को स्वीकार करते हुए दिया। कत्याल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने पीएमएलए की धारा-50 के तहत मेदांता व अपोलो अस्पताल के उन निजी डाक्टरों के बयान दर्ज करने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिनसे उनका मुवक्किल परामर्श ले रहा था।

**आरोपित का इलाज मेदांता अस्पताल में-** उन्होंने तर्क दिया था कि यह न केवल धारा-50 पीएमएलए के तहत अनुमेय कार्रवाई का उल्लंघन है, बल्कि चिकित्सा उपचार की गोपनीयता व आरोपित के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ईडी द्वारा चिकित्सकों पर कड़े कानून के उपयोग के कारण अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने आरोपित का इलाज करने में आनाकानी की और आखिरकार आरोपित का इलाज मेदांता अस्पताल में किया गया। पाहवा के तर्क को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि व्याख्या के किसी भी दायरे में धारा-50 के उस विस्तारित दायरे पर विचार नहीं किया जा सकता है, जिसमें डाक्टरों सहित नागरिकों के बयान दर्ज करना शामिल है। अदालत ने कहा कि आरोपित के साथ डाक्टरों की सांठगांठ के रत्ती भर भी आरोप के बगैर ईडी के लिए एक सामान्य नागरिक को धारा -50 की कड़ी प्रक्रिया के अधीन करने का कोई औचित्य नहीं है।

## गाजा में फिलीस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 34,535

**गाजा**

हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गाजा पट्टी में हो रहे इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढक़र 34,535 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान इजरायली सेना ने 47 फिलिस्तीनियों को मार डाला और 61 अन्य घायल हुए हैं।

इजरायल-हमास युद्ध शुरू होने के बाद से मरने वालों की कुल संख्या 34,535 हो गई और घायलों की संख्या 77,704 है। जारी एक बयान के अनुसार, भारी बमबारी और बचाव दल की कमी के बीच कुछ पीड़ित मलबे में दबे हुए मिले।

इजरायली पब्लिक रेडियो के अनुसार, इजरायली सेना ने गाजा में सुरंग प्रवेश द्वार और एक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म सहित 24 लक्ष्यों पर हमला करने की सूचना दी। गाजा में नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय ने अनुमान लगाया कि गाजा पट्टी में ध्वस्त इमारतों के मलबे के नीचे कुल मिलाकर 10 हजार से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं।

## नई मुसीबत में फंसे बाबा रामदेव, पतंजलि फूड्स को जीएसटी विभाग ने भेजा 27 करोड़ का नोटिस

**मुंबई**

योगगुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विज्ञापन मामले के बाद अब जीएसटी विभाग ने रामदेव की टेंशन बढ़ा दी है। पतंजलि फूड्स को त्रस्ज्ज विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करोड़ों रुपये के टैक्स क्रेडिट को लेकर सवाल पूछे गए हैं। पतंजलि फूड्स को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) आसूचना विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजकर कंपनी से यह बताने को कहा है कि उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। कंपनी द्वारा 26 अप्रैल को नियामक में जमा कराए गए विवरण के अनुसार, योग गुरु रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी को जीएसटी आसूचना महानिदेशालय, चंडीगढ़ जोनल यूनिट से नोटिस मिला है। यह कंपनी मुख्य रूप से खाद्य तेल व्यवसाय में है।

कंपनी ने कहा, ''कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को कारण बताने के लिए कहा गया है कि 27,46,14,343 रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि (ब्याज सहित) क्यों नहीं वसूली जानी चाहिए, और क्यों जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।' विभाग ने एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल एवं सेवा अधिनियम, 2017 और उत्तराखंड राज्य माल एवं सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 74 और अन्य लागू प्रावधानों का हवाला देते हुए नोटिस दिया है।

## सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को फिर झटका, माफीनामे की मांगी ओरिजिनल कॉपी

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** पतंजलि विज्ञापन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में करीब डेढ़ घंटे तक सुनवाई हुई। रामदेव और बालकृष्ण पांचवीं बार जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में पेश हुए। पतंजलि की ओर से मुकुल रोहतगी और बलबीर सिंह ने पैरवी की। उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता पेश हुए। आज की सुनवाई में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) भी शामिल हुआ। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने मूल कॉपी पतंजलि के वकील को दे दी। माफी की जगह ई-फाइलिंग (समाचार पत्रों की कॉपी) करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा- बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। पतंजलि के वकील ज्यादा होशियार हैं। पूरा अखबार दाखिल करना पड़ा। कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ समय पर कार्रवाई न करने पर उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई। साथ ही एक दिन पहले आईएमए प्रमुख द्वारा दिए गए इंटरव्यू को भी रिकॉर्ड करने को कहा है। कोर्ट ने पतंजलि को अखबार में माफीनामा का विज्ञापन पेश करने की इजाजत दे दी। ई-फाइलिंग और कटिंग की अनुमति नहीं थी। अगली सुनवाई के लिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने से छूट दे दी गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के मीडिया साक्षात्कार का मुद्दा भी सुना, जिसमें वह उंगली उठाने के लिए आईएमए की आलोचना कर रहे हैं। कोर्ट ने ये इंटरव्यू इसलिए मांगा है ताकि फैसला लिया जा सके कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ओर से दाखिल हलफनामे की आलोचना की है। कहा कि जब कोर्ट ने आदेश दिया तब अधिकारी जागे। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को खुद ही सावधानी बरतनी होगी। पूछा कि कोर्ट के आदेश से पहले और बाद में क्या कार्रवाई की गयी। राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी को 14 मई तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 17 मई को होगी। सोमवार को अथॉरिटी ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के करीब 14 उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग कर दिए थे।